झारखण्ड लोक सेवा आयोग सर्वुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या- 12/2023

Online आवेदन करने की अंतिम तिथि:-14.05.2023 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:-31.05.2023

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची अन्तर्गत कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, कांके, राँची एवं उद्यान महाविद्यालय, खुंटपानी में विभिन्न विषयों के **सहायक प्राध्यापक—सह—कनीय वैज्ञानिक (Assistant Professor- cum- Junior Scientist)** के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:—

- वेतनमान :- 15,600-39,100 + Grade Pay 6,000/- (अपुनरक्षित)
- उम्र गणना की तिथि—01.08.2022 होगी।
- उम्र सीमा :- सभी कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा कोटिवार निम्नवत् है :-

क्रo संo	कोटि	उम्र सीमा	निःशक्त के लिए उम्र सीमा
1	अनारक्षित (पुरूष एवं महिला)	35 वर्ष	45 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) (पुरूष)	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला {अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)}	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

रिक्तियों का विवरण :--

College	Name of Department/ Subject	Subject		ategor	У	Grand
College of		Code	UNR	ST	BC-1	Total
Agricultural Engineering,	Farm Machinery and Power Engineering	A-1	2	1	1	4
Kanke, Ranchi	Soil and Water Conservation Engineering	A-2	2	1	-	3
	Processing & Food Engineering	A-3	2	1	-	3
	Renewable Energy Engineering	A-4	1	1	-	2
Horticulture	Fruit Breeding	A-5	1		1.5	1
College, Khuntpani	Flower Breeding	A-7	1		-	1
	Soil Science & Agriculture Chemistry	A-8	1:	- 3	æ	. 1
	Horticulture Extension	A-9	1	-		1
	Horticulture Economics	A-10	1	2		1
	Floriculture	A-11	1.			1
	Vegetable Breeding	A-12	1	-2	1	1
	Post Harvest Technology	A-13	1	*	-	1
	Plant Pathology	A-14	1		-	1

Grand Total			04	01	24
Biochemistry	A-17	1	- 23		1
Agriculture Engineering	A-16	1	*:	85	- 1
Crop Physiology	A-15	1	20	2	- 1

Note:

- उपरोक्त तालिका के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, परन्तु उन्हें उक्त अनारक्षित श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- अनारक्षित श्रेणी को छोड़कर आरक्षित श्रेणी हेतु चिन्हित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

अर्हत्ता :--

Qualification

- (i) Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited Foreign University.
- (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
- (iii) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.
- (iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.

Note :-

- Good Academic Record means at least 55% marks or equivalent grade under grading systems of evaluation in the degree level examination. A relaxation of 5% may be allowed at the graduate and master's level for the SC/ST/Differently abled (Physically and visually differently-abled) Categories for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions.
- ii. For appointment on the posts of teachers/scientist in Agriculture, Veterinary, Ag. Engg., Dairy Technology, Fisheries and Home Science related subject, it would be a basic requirement for the candidate applying for the posts to hold/possess respective basic professional degree at the Under-Graduate level.
- iii. A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories

mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

- iv. A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.
- Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाः—

विज्ञापित पदों के लिए चयन Academic Record and Research performance (50% weightage), Assessment of domain knowledge and Teaching skills (30% weightage) एवं Interview performance (20% weightage) के आधार पर किया जायेगा।

- आरक्षण का लाम:— आरक्षण का लाम केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।
 - (क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र धारित किया जाता है।
 - (ख) जाति प्रमाण-पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।
 - (ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
 - (घ) आरक्षण का दावा करने वाले अम्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :--
 - i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अनारक्षित कोटि की महिलाएँ जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा का लाभ लिया जा रहा है को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 - आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
 - iii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
 - (ड.) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (च) जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-
 - (a) अनुसूचित जनजाति:— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजमाथा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1361, दिनांक—03.03.2022 एवं पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी

दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:- केन्द्रीय सरकार के सेवाओं / पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) अत्यंत पिछड़ा वर्ग—I:— झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग—I कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक— 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण—पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 के अधीन प्रपत्र—XV में गैर क्रीमीलेयर स्वधोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

- (i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं / पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) राज्य सरकार के सेवाओं / पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के साथ यदि प्रमाण-पत्र में Form-XI Required अंकित हो तो Form-XI (Non-Creamy Layer से संबंधित प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

परीक्षा शुल्क :--

- (a) परीक्षा शुल्क क्रोडिट कार्ड/डेविट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (b) परीक्षा शुल्क रू0-600 (छ: सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (c) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (d) परीक्षा शुल्क में छूट-
 - झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू०-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है।
 - ii. झारखण्ड राज्य के निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट है।
- (e) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से मिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (f) उपर्युक्त कंडिका—(d) में उल्लेखित रियायतीदर पर परीक्षा शुल्क जमा करने/परीक्षा शुल्क में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा। जाति प्रमाण/निःशक्तता प्रमाण पत्र आयोग के वेबसाईट पर जाति प्रमाण पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र हेतु उपलब्ध प्रपत्र में निर्गत होना आवश्यक होगा।
- (g) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

- (h) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :
- (a) आवेदन पत्र Online भरा जायेगा। Online आवेदन की मुद्रित प्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ विज्ञापन की कंडिका—11 में उल्लेखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ को "Controller of Examinations(Incharge of University Appointment), Jharkhand Public Service Commission, Ranchi 834001" के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों—हाथ (कार्य अवधि में) निर्धारित अतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा अन्यथा आवेदन अपूर्ण समझा जायेगा एवं अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जायेगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या—12/2023., विषय, विषय कोड तथा पदनाम मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (b) Online आवेदन पत्र के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र upload नहीं करना है।
- (c) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट <u>www.jpsc.gov.in</u> पर Online Application System के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- (d) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (e) ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
- (f) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (g) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (h) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क मुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
- आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन पत्र भरते समय उपलब्ध हो।
- (j) Online आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं Offline mode में प्राप्त आवेदन पत्र की मुदित प्रति एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही मरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (k) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कॅसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No +919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—11.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (I) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है—
 - +919431301636
- 2. +919431301419

- (m) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.-9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (n) Online Application System के द्वारा वॉछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रह कर दी जायेगी।
- (o) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (p) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (q) जन्म तिथि आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र / अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (r) सक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन की कंडिका-11 के अनुरूप सभी वांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद कर दी जायेगी।
- (s) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (t) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the Examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate,

and/or

- (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
- (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :--

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :--

- मुद्रित आवेदन पत्र(स्वअभिप्रमाणित) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible)
 स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :-
 - a) Printed copy of Examination Fee Receipt.
 - b) 10th/Matriculation Certificate and Mark Sheet.
 - c) 12th/Intermediate Certificate and Mark Sheet.
 - d) Graduation Certificate and Mark Sheet.
 - e) Post Graduation Certificate and Mark Sheet.
 - f) NET/SLET/SET Passing Certificate.
 - g) M.Phil Degree/Provisional Certificate or Notification.
 - h) Ph.D Degree/Provisional Certificate or Notification.
 - i) If exemption of NET/SLET/SET is claimed, then document in proof of Ph.D Degree is awarded on the basis of "UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009(if it is not mentioned in the Ph.D. Degree/Provisional Certificate or Notification.
 - j) Caste Certificate in prescribed format as mentioned in the clause 7 of the advertisement (If applicable).
 - k) Certificate of Physical Disability issued by competent authority as per clause 8 of the advertisement (If applicable).
 - Filled in Appendix B of the advertisement along with relevant documents as per Appendix A.
 - OGPA/CGPA/Grade Points to percentage conversion document for 10th /Matriculation,12th/Intermediate, Graduation and Post Graduation (If applicable).
 - NOC (No Objection Certificate) issued by competent authority i.e. present Employer (If applicable).
 - a) Aadhaar or other Personal Identification document.
 - r) Any other documents as per the advertisement and information given in the application form.
- (ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र मेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, विषय, विषय कोड (Subject code) एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

12. अन्य शर्ते :--

(i) केवल Online आवेदन पत्र भरने पर आवेदन समर्पित किया हुआ नहीं समझा जायेगा। पूर्णरूपेण आवेदन पत्र भरने हेतु Online आवेदन पत्र की मुदित प्रति के साथ विज्ञापन की कंडिका—11 में उल्लेखित प्रमाण—पत्रों की स्व—अभिप्रमाणित प्रतियों को संलग्न कर निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। अपूर्ण-आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थिगत या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अरवीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (iv) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- (v) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर Online आवेदन में किये गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप एवं उपर्युक्त कंडिका—11 में उल्लेखित संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (vi) आवेदक के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिलेख जाँच या अन्तर्वीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. अंतिम तिथि :--

- (i) स्वअभिप्रमाणित मुद्रित आवेदन पत्र की प्रति एवं उपर्युक्त कंडिका—11 में उल्लेखित संबंधित सभी प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ A4 Size papers हेतु उपयुक्त लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथाँ—हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेंजे कि दिनांक—31.05.2023 अपराइन 5:00 बजे तक Controller of Examinations(Incharge of University Appointment), Jharkhand Public Service Commission, Ranchi 834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iii) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुलग्नक:— Appendix - A Appendix - B

到/一

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

Appendix-A

SI. No.	Qualification/Criteria	Total weightage Marks	First Author/C o-Author	Corresponding marks
01.	Matric	2.5		% of Marks obtained in Matric X 2.5
02.	Intermediate	05		% of Marks obtained in Intermediate X 05
03	Graduation	7.5		% of Marks obtained in Graduation X 7.5
04.	Post Graduation	10		% of Marks obtained in post Graduation X 10
05.	NET/SLET/SET	05	-	05
06.	Ph.D.	10	*	10
07.	Papers published in journals(Foreign publication)	10	First Author	01 Mark for each publication
08.	Papers published in journals(Foreign publication)		Co- Author	0.5 Mark for each publication
09.	Papers published in journals(National publication)		First Author	0.5 Mark for each publication
10.	Papers published in journals(National publication)		Co- Author	0.25 Mark for each publication
11.	Books/Chapters in books		First Author	0.5 Mark for each book/chapter
12.	Book/chapters in books		Co- Author	0.25 Mark for each book/chapter
13.	Patent		*	01 Mark for each patent

Appendix - B

i. Educational Qualifications:

Sl. No.	Standard/ Degree	Full Marks/ CGPA/O GPA etc.	Obtained Marks/ CGPA/ OGPA etc	% of Marks	Marks claimed by candidate as per relevant schedules of Appendix-B	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1	10 th / Matric					
2	12 th /					
3	Graduation					
4	Post Graduation					

Note: i. Percentage of Marks to be filled above should be done as per Instructions given below: -

- (a) For 10th/Matriculation and 12th/Intermediate
 - If percentage is given in the Mark Sheets then same should be filled.
 - If percentage is not given in the Mark Sheets but is understood to be calculated from marks/terms and conditions given in the Mark Sheets, then accordingly percentage should be calculated and filled.
 - If points no. (a)1 and (a)2 above is anyhow not applicable, then marks of all the subjects should be added and percentage should be calculated taking into account the total marks obtained for all the subjects and total of maximum marks of all the subjects.

b. For Graduation and Post GraduationI

- f percentage is given in the Mark sheets then same should be filled.
- If percentage is not given in the Mark Sheets but is understood to be calculated from marks/terms and conditions given in the Mark Sheets, then accordingly percentages should be calculated and filled.
- Notwithstanding anything in (b) 1 and (b)2 above percentage should be filled for Honours subjects for Honours degree.
- If marks are awarded as CGPA/OGPA/Grade Points etc. (for 10th to Ph.D. level) then fill in the

above table as per the instructions below : -

- If percentage is given in the Grade sheets/Mark Sheets then same should be filled.
- If in place of percentage CGPA/OGPA/Grade Points etc. is given in the Grade sheets/Mark Sheets then percentage should be calculated as per documents available/issued by concerned Board/ Institution/University for CGPA/OGPA/Grade Points etc. to percentage conversion.
- If no document is available/issued by concerned Board/Institution/University for CGPA/OGPA
 Grade Points to percentage conversion then percentage should be calculated in reference to the
 Schedules-I,II,III,IV of the Appendix-B of the advertisement.

ii. Ph.D Degree and/or NET/JET : -

	West State of the	relevant schedules of Appendix-B	relevant document is enclosed
LD.			
ET/SLET/SET			

iii. Papers published in journals :

Sl. No.	Title of published paper	Name of Journal	ISSN No.	Foreign /Nation al	Whether first author or co-author	Marks claimed by candidate as per Appendix-A (Sl. No7- 10)	Mention the page no. where relevant document is enclosed
			L.		4 -14		

Note: i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional published papers are to be added to the above list.

Self attested pages of relevant pages of the published papers wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

iv. Authored/Co-authored Books:

SI. No.	Name of book	Name of Publisher	ISBN No.	Whether first author or co-author	Marks claimed by candidate as per Appendix-A (Sl. No11-12)	Mention the page no, where relevant document is enclosed
		TATE IN				

Note: i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional books are to be added to the above list.

Self attested pages of relevant pages of the books wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

v. Authored/Co-authored chapters in books :

Name of chapter in book	Name of Book	Name of Publisher	ISBN No.	Whether first author or co- author of chapter	Marks claimed by candidate as per Appendix-A (Sl. No11-12)	Mention the page no. where relevant document is enclosed
	in book	in book	in book Publisher	in book Name of Book Publisher No.	Name of chapter in book Name of Book Name of Publisher ISBN No. first author or co-author of chapter	Name of chapter in book Name of Book No. No. No. No. No. No. No.

Note: i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional books are to be added to the above list.

Self attested copies of relevant pages of the books, chapters, content etc. must be attached so that above mentioned details could be easily verified.

vi. Patents :-

Sl. No.	Patent	Marks claimed by candidate as per Appendix-A (Sl. No13)	Mention the page no. where relevant document is enclosed

Note: i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional chapters are to be added to the above list.

 Self attested copies of the relevant pages of patents wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

vii. Total of Weightage n	narks claimed by candidate in	n Sl. Nos i to vi (out of 50)	
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

viii. List of enclosures: Self attested Photocopies of the documents should be attached serially and paging must be done correctly: -

Sl.	Document	Enclosed - Yes		as	page
No.		or No	No(s).		
1.	Printed copy of online application				
2.	Printed copy of Examination Fee receipt				
3.	10 th /Matriculation Certificate				
4.	10 th /Matriculation Mark sheet				
5.	12 th /Intermediate Certificate				
6.	12 th /Intermediate Mark sheet				
7.	Graduation Degree Certificate				

8.	Graduation Mark sheet	
9.	Post Graduation Degree Certificate	
10.	Post Graduation Mark sheet	
11.	NET/SLET/SET	
12.	Notification of P.hD award	
13.	Ph.D. Degree Certificate	
14.	If exemption of NET/SLET/SET is claimed then Certificate issued by competent authority that Ph.D Degree is obtained in accordance with UGC(Minimum Standard and Procedure for award of Ph.D degree) Regulation, 2009	
15.	Caste Certificate	
16.	Local Residential certificate	
17.	Certificate of Physical disability (if applicable)	
18.	Document(s) wherein rule for converting OGPA/CGPA/Grade Points etc. to percentage is mentioned	
19.	No Objection Certificate from present Employer	
20.	Aadhaar Card	
21.	Published papers	
22.	Books/Chapters in books	
23.	Patent	1 10
24.*		F 1 I
25.*		
26.*		
27.*		

^{*} Blanks in the above can be filled by candidate for additional relevant documents enclosed after Sl. No. 23 suitably mentioning the name of the document(s) in support of information given in the application form.

Note: (i) If a candidate has been awarded CGPA/OGPA/Grade Points etc. in place of marks in any standard or degree up to Ph.D. level, then documents issued by concerned

- Board/Institution/University for the conversion of CGPA/OGPA/Grade Points etc. to percentage must be attached.
- (ii) If anything is written on both sides of Mark Sheets and Degree Certificates, then photocopies of both sides of the documents should be enclosed.
- (iii) Paging of the enclosures should be done on either sides of the documents if anything is written, for blank pages paging should not be done.
- (iv) Enclosures should be attached with the application in two sets. Paging of the same documents should be same in both the sets.

Signature of candidate	
Name :	
Date:	
Place:	